बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9 / नि0–19–01 / 2018,–सा0प्र0.....8504......., पटना–15, दिनांक–26·6·19

भारत–संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2006 में संशोधन करने हेतु निम्नांकित संशोधन नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।**–
   (1) यह नियमावली "बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह दिनांक–14.06.2006 से प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2006 के नियम–3 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम–3 को निम्नरूप में प्रतिस्थापित किया जाता है–

"3. **संवर्ग की संरचना।**– (i) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी–

क्र0 सं0	पदनाम	प्रोन्नति का स्तर	प्रास्थिति
1.	आशुलिपिक	मूल कोटि	अराजपत्रित
2.	निजी सहायक	प्रथम प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित
3.	आप्त सचिव	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित
4.	प्रधान आप्त सचिव	तृतीय प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित

(ii) संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

(iii) संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का वेतनमान / वेतन स्तर वही होगा जैसा समय–समय पर वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

3. **बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2006 में नियम–13 का जोड़ा जाना।**– उक्त नियमावली में नियम–13 निम्नरूप में जोड़ा जायेगा–

"13. **निरसन एवं व्यावृतिः**– (i) बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2006 के प्रवृत्त होने के पूर्व विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्प / नियमावली / आदेश आदि एतद् द्वारा निरसित समझे जायेंगे।"

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत संकल्प / नियमावली / आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25.6.19

(राम शंकर)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–9/नि0–19–01/2018– सा0प्र0–8504/पटना–15, दिनांक–26:6:19

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग, बिहार, पटना एवं अधीक्षक, गुलजारबाग प्रेस, पटना–7 को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करावें।

25.6.19
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–9/नि0–19–01/2018– सा0प्र0–8504/पटना–15, दिनांक–26:6:19

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.6.19
सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक– 26-6-19

संख्या–9 / नि0–19–01 / 2018–सा0प्र0. 8505 / अधिसूचना संख्या 8504 दिनांक 26-6-19 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25.6.19

(राम शंकर)
सरकार के संयुक्त सचिव

Government of Bihar
General Administration Department

Notification

File No.-09-/Ni-19-01/2018, GAD. 8505 Patna-15, Dated 26-6-19

In exercise of the Power conferred by the proviso to article-309 of the Constitution of India the Governor of Bihar hereby makes the following amendment rules to amend the Bihar Secretariat Stenographers Service Rule, 2006

1. **Short title extent and Commencement.-**

(1) These Rules may be called "The Bihar Secretariat Stenographer Service Amendment Rule, 2019"

(2) It shall extent to the whole State of Bihar

(3) It shall come into force from the effect of dated 14.06.2006,

2. **Substitution of rule 3 of the Bihar Secretariat Stenographer Service Rules, 2006.-** Rule-3 of the said Rules, 2006 shall be substituted by the following:-

"3. **Structure of cadre.-** (i) Structure of the cadre shall be as follows:-

Sl. No.	Name of The Post	Promotion Level	Status
1	Stenographer	Basic Category	Non Gazetted
2	Personal Assistant	First Promotion Level	Non Gazetted
3	Private Secretary	Second Promotion Level	Gazetted
4	Principal Private Secretary	Third Promotion Level	Gazetted

(ii) Sanction strength of various category of the cadre shall be same as determined by the Government, from time to time.

(iii) Pay/Pay Scale of the various category of the cadre shall be same as may be determined by the Finance Department, Government of Bihar, from time to time.

3. **Addition of a new Rule-13 in the Bihar Secretariat Stenographers Service Rule, 2006**.- The following new Rule-13 shall be added as follows in the said Rules, 2006:-

"**13. Repeal and saving** (i) All resolution/Rules/order issued before the commencement of The Bihar Secretariat Stenographers Service Rule 2006 are hereby repealed."

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Rules/order/Resolution shall be deemed to have been done or taken under these Rules as if this rules were in force on the day or which such thing or action was done or taken.

By The Order of The Governor of Bihar

Sd/- 25.6.19

(Ram Shankar)

Joint Secretary to the Government

Memo no. File No.-09-/Ni-19-01/2018- GAD 8505 Patna-15, Dated 26-6-19

Copies in duplicate along with forwarded to Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Patna and E-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna for publication in forth coming issue of extra ordinary Gazette.

Sd/- 25.6.19

Joint Secretary to the Government

Memo no. File No.-09-/Ni-19-01/2018, GAD 8505 Patna-15, Dated 26-6-19

Copy forwarded to the A.G. (A & E), Bihar/All Department/All Head of Department/All Divisional Commissioner/Secretary, Bihar Public Service Commission, Patna/Secretary, Bihar Staff Selection Commission/ Officer I/C, Finance (Personal Grivance Redressal Cell) Department, Patna for information and necessary action.

Sd/- 25.6.19

Joint Secretary to the Government